

नियम एवं शर्तें :-

1. उक्त दरों में उल्लिखित दरों में ईंधन चालक का पारिश्रमिक व वाहन का मेन्टीनेन्स शामिल है। उक्त दरों के अतिरिक्त कोई भी अतिरिक्त चार्ज का भुगतान नहीं किया जाएगा।
2. उक्त दरों पर वाहन उपलब्ध कराने पर निविदादाता सहमत है, जब भी राज्य संसाधन केन्द्र, उ.प्र. द्वारा वाहन की माँग की जाएगी, तब वाहन उपलब्ध कराया जाएगा।
3. केवल डीजल, पेट्रोल अथवा सीएनजी गैस के वाहन ही मान्य होंगे। अनधिकृत/ अवैध गैस द्वारा संचालित वाहनों की दरें मान्य नहीं होंगी।
4. एजेन्सी को डीजल, पेट्रोल अथवा गैस की पूर्ण व्यवस्था स्वयं करनी होगी। किसी भी प्रकार के व्यय हेतु राज्य संसाधन केन्द्र, उ.प्र. द्वारा कोई अग्रिम धनराशि उपलब्ध नहीं कराई जाएगी। यात्रा समाप्त के बाद बिल प्रस्तुत करने के बाद ही भुगतान किया जाएगा।
5. वाहनों की वैधता/अवैधता अथवा अन्य विधिक जिम्मेदारी एजेन्सी की होगी।
6. न्यूनतम दरों पर जिस एजेन्सी से अनुबन्ध किया जाएगा, वह दरें अनुबन्ध की तिथि से एक वर्ष के लिए मान्य होगी।
7. मार्ग में वाहन में किसी तरह की खराबी आने पर एजेन्सी की यह जिम्मेदारी होगी कि निर्बाध यात्रा हेतु वह दूसरा वाहन उपलब्ध कराए। इसके लिए राज्य संसाधन केन्द्र, उ.प्र. द्वारा कोई अतिरिक्त व्यय देय नहीं होगा।
8. बिल भुगतान हेतु राज्य संसाधन केन्द्र, उ.प्र. लखनऊ द्वारा निर्धारित प्रपत्र मेन्टेन किया जाएगा और बिल भुगतान के समय यथा आवश्यक संलग्न किया जाएगा।
9. राज्य संसाधन केन्द्र, उ.प्र. को बिना कोई कारण बताये कभी भी संविदा निरस्त करने, संशोधित कराने का अधिकार सुरक्षित रहेगा।
10. किसी भी प्रकार के विवाद की स्थिति में विधिक क्षेत्राधिकार लखनऊ ही मान्य होगा।
11. निविदादाता निविदा के साथ अनुभव प्रमाण-पत्र सर्विस टैक्स रजिस्ट्रेशन नम्बर (प्रमाण-पत्र) फर्म रजिस्ट्रेशन नम्बर (प्रमाण-पत्र) तथा पैनकार्ड की प्रति संलग्न करेगा।
12. राज्य संसाधन केन्द्र, उ.प्र. अपने आवश्यकतानुसार मासिक/दैनिक आधार पर वाहन की संख्या घटा-बढ़ा सकता है।
13. निविदा प्रपत्र किसी भी कार्य दिवस में राज्य संसाधन केन्द्र, उ.प्र., साक्षरता निकेतन, कानपुर रोड, लखनऊ-226023 से ₹0 200.00 नकद देकर प्राप्त किया जा सकता है अथवा निविदा प्रपत्र का प्रारूप इण्डिया लिटरेसी बोर्ड की वेबसाइट www.indialiteracyboard.org से डाउनलोड किया जा सकता है। डाउनलोड किए गए निविदा प्रपत्र पर दरें अंकित करने की दशा में ₹0 200.00 का बैंक ड्राफ्ट निदेशक, राज्य संसाधन केन्द्र, उ.प्र. के पक्ष में लगाना अनिवार्य है।

दिनांक

राज्य संसाधन केन्द्र, सारक्षता निकेतन लखनऊ में दैनिक/मासिक दर पर अनुबन्धित नियम एवं शर्तें :-

1. निविदा प्रपत्र में उल्लिखित दरों में ईंधन चालक का पारिश्रमिक व वाहन का मेन्टीनेन्स शामिल है। उक्त दरों के अतिरिक्त कोई भी अतिरिक्त चार्ज का भुगतान नहीं किया जाएगा।
2. उक्त दरों पर वाहन उपलब्ध कराने पर निविदादाता सहमत है, जब भी राज्य संसाधन केन्द्र, उ.प्र. द्वारा वाहन की माँग की जाएगी, तब वाहन उपलब्ध कराया जाएगा।
3. केवल डीजल, पेट्रोल अथवा सीएनजी गैस के वाहन ही मान्य होंगे। अनधिकृत/ अवैध गैस द्वारा संचालित वाहनों की दरें मान्य नहीं होंगी।
4. एजेन्सी को डीजल, पेट्रोल अथवा गैस की पूर्ण व्यवस्था स्वयं करनी होगी। किसी भी प्रकार के व्यय हेतु राज्य संसाधन केन्द्र, उ.प्र. द्वारा कोई अग्रिम धनराशि उपलब्ध नहीं कराई जाएगी। यात्रा समाप्त के बाद बिल प्रस्तुत करने के बाद ही भुगतान किया जाएगा।
5. वाहनों की वैधता/अवैधता अथवा अन्य विधिक जिम्मेदारी एजेन्सी की होगी।
6. न्यूनतम दरों पर जिस एजेन्सी से अनुबन्ध किया जाएगा, वह दरें अनुबन्ध की तिथि से एक वर्ष के लिए मान्य होगी।
7. मार्ग में वाहन में किसी तरह की खराबी आने पर एजेन्सी की यह जिम्मेदारी होगी कि निर्बाध यात्रा हेतु वह दूसरा वाहन उपलब्ध कराए। इसके लिए राज्य संसाधन केन्द्र, उ.प्र. द्वारा कोई अतिरिक्त व्यय देय नहीं होगा।
8. बिल भुगतान हेतु राज्य संसाधन केन्द्र, उ.प्र. लखनऊ द्वारा निर्धारित प्रपत्र मेन्टेन किया जाएगा और बिल भुगतान के समय यथा आवश्यक संलग्न किया जाएगा।
9. राज्य संसाधन केन्द्र, उ.प्र. को बिना कोई कारण बताये कभी भी संविदा निरस्त करने, संशोधित कराने का अधिकार सुरक्षित रहेगा।
10. किसी भी प्रकार के विवाद की स्थिति में विधिक क्षेत्राधिकार लखनऊ ही मान्य होगा।
11. निविदादाता निविदा के साथ अनुभव प्रमाण-पत्र सर्विस टैक्स रजिस्ट्रेशन नम्बर (प्रमाण-पत्र) फर्म रजिस्ट्रेशन नम्बर (प्रमाण-पत्र) तथा पैनकार्ड की प्रति संलग्न करेगा।
12. राज्य संसाधन केन्द्र, उ.प्र. अपने आवश्यकतानुसार मासिक/दैनिक आधार पर वाहन की संख्या घटा-बढ़ा सकता है।
13. निविदा प्रपत्र किसी भी कार्य दिवस में राज्य संसाधन केन्द्र, उ.प्र., साक्षरता निकेतन, कानपुर रोड, लखनऊ-226023 से रु0 200.00 नकद देकर प्राप्त किया जा सकता है अथवा निविदा प्रपत्र का प्रारूप इण्डिया लिटरेसी बोर्ड की वेबसाइट www.indialiteracyboard.org से डाउनलोड किया जा सकता है। डाउनलोड किए गए निविदा प्रपत्र पर दरें अंकित करने की दशा में रु0 200.00 का बैंक ड्राफ्ट निदेशक, राज्य संसाधन केन्द्र, उ.प्र. के पक्ष में लगाना अनिवार्य है।

निदेशक
राज्य संसाधन केन्द्र, उ.प्र.